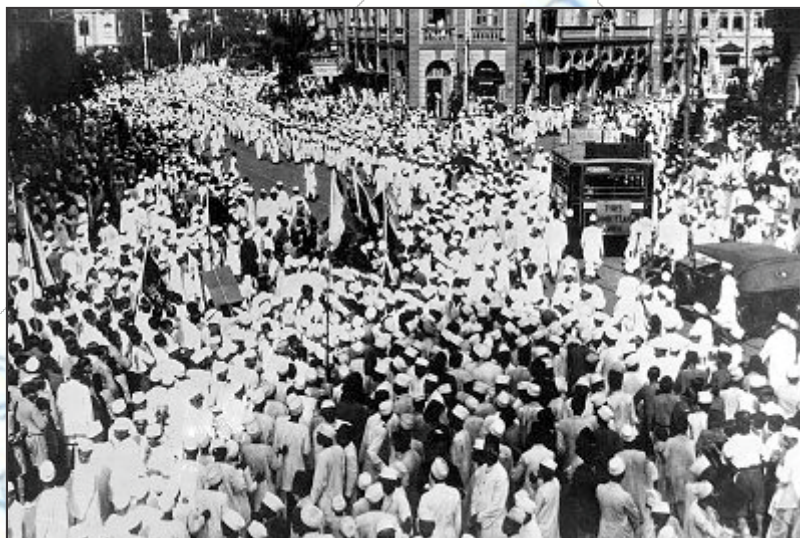


राष्ट्रीय आन्दोलन 1885-1947

आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ? उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वह कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई? उनके द्वारा कैसे अपना हित साधने के लिए भारत में सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार का ताना-बाना बुना गया, जिसने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तो समाप्त किया ही, सामाजिक एवं धार्मिक सदभाव को भी समाप्त कर दिया। साथ ही, शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को भी जन्म दिया।

आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करें। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे। लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रहित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया।



चित्र 1 – राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जनसमुदाय

भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनैतिक संगठन

1. 1851-52 – ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविन्स में शुरू में अलग-अलग तीन संगठनों का गठन हुआ जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमीन्दार थे। बंगाल में ब्रिटिश-इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन।
2. 1867- पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविन्द रनाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यमवर्गीय सामान्य लोग थे।
3. 1876- इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इस के सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे।
4. 1878- नेटिव प्रेस और पोलिटिकल एसोसिएशन कान्फ्रेंस, कलकत्ता का गठन।
5. 1883- अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया।
6. 1884- मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यमवर्ग के लोग थे।
7. 1885- इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसीडेंट एसोसिएशन। संस्थानों के सदस्य भी मध्यमवर्ग के लोग थे।
8. 28 दिसम्बर 1885- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस – 28 दिसम्बर 1885

1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नजर में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं, और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से बाहर नहीं

जाएँगे **भारत, भारतीयों का नहीं हो सकता है।** इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और 'राष्ट्रवाद' का जन्म हुआ। धीरे-धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को, भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने-समझने और काम करने की आजादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिल-जुलकर भूमिका निभाई।

भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैन्ड ने अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार (खरीददार) के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैन्ड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होनेवाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए जबकि इंग्लैन्ड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफी खर्चीला था। ऊँचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनखाह दी जाती थी। अपनी तनखाह की सारी रकम वे इंग्लैन्ड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैन्ड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल-दर साल पड़ने लगा क्योंकि भारतीय कृषक अपनी जरूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे बल्कि इन्हें इंग्लैन्ड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेवार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एक मात्र समाधान था।

अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने-जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी

कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एकसूत्र में बाँधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग-अलग जगहों पर रहनेवालों को मिलने-जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला।

अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया जो पाश्चात्य विचारों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे।

अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुँचने लगे। धीरे-धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा तो अंग्रेजों ने **वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878)** के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन (कार्य) में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुँचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की।

(देशी भाषा) वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878) के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

इंडियन मिरर, बंगाली, केसरी, मराठी, हिन्दू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया ही, साथ-साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आमलोग के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार

पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे।

कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जॉन्स, मैक्समूलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियाँ उपजी हैं। इससे भारतीयों में, जो कुंठाग्रस्त थे, आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परम्परा, रीतिरिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा तभी आई०सी०एस० (अब आई०ए०स०) में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल ही न हो सकें।

भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आन्दोलन चले।

लार्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इलबर्ट-बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किए, जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपीयों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इलबर्ट-बिल का संगठित विरोध किया; फलतः



चित्र 2 – कांग्रेस के संस्थापक सदस्य

वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपीयों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसम्बर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई।

कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्लू०सी० बनर्जी, आर०सी० दत्त और एक साल बाद शामिल होनेवाले सुरेन्द्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े-लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ए०ओ० ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठन कर्त्ता बनाया।

कांग्रेस के शुरुआती दिन— कांग्रेस अपने शुरु के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी क्योंकि अंग्रेज-प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे क्योंकि भारत उनकी नजर में अलग-अलग धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों एवं भाषा भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खण्डन नहीं किया बल्कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया।

कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी-बारी से देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएँ और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहाँ अधिवेशन हो रहा हो।

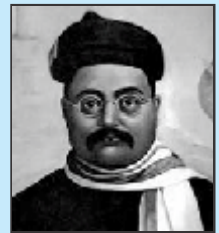
कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा कॉन्सिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल

पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाएँ।

कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि

कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16000 रुपये खर्च हुए जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ एवं डुमराँव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालीग्राम सिंह एवं विशेश्वर सिंह (कुल्हड़िया स्टेट) जिनके नाम पर ही बी०एन० कॉलेज है, शामिल हुए थे एवं पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे।

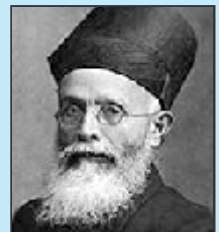
गोपाल कृष्ण गोखले – जहाँ तक हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्ताओं को परे रखकर वे एक जुट हो सकें।



चित्र 3

शुरु में कांग्रेस के लिए जनांदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था अतः इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यमवर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया जो धीरे-धीरे आम लोगों तक पहुँचा।

दादाभाई नौरोजी – हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें।



चित्र 4

डब्लू०सी० बनर्जी – कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करनेवालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना है।



चित्र 5

कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन। इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जनान्दोलन नहीं चलाया लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आन्दोलन के रूप में स्थापित किया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन की आधारशिला रखी। जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम बीस वर्षों में कांग्रेस ने आन्दोलन की जमीन तैयार करने का काम किया।

स्वराज की चाहत – 19वीं सदी के अंतिम दशक आते-आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश-शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चन्द्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बालगंगाधर तिलक कर रहे थे। इन्होंने (प्रार्थना) निवेदन की बजाए रचनात्मक कार्य एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था वे



लाल-बाल-पाल

चित्र 6

संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि 'स्वराज' के लिए अंग्रेजों से लड़ सकें। तिलक ने नारा दिया **“स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।”** इन नेताओं ने गाँव-गाँव जाकर लोगों को संगठित किया तथा स्वराज के साथ-साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया।

प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है? शिक्षकों से चर्चा करें।

बंग-भंग एवं स्वदेशी आन्दोलन – लार्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अन्तर्गत बंगलादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखण्ड के प्रदेश थे। अंग्रेजों का तर्क था कि चूँकि यह प्रांत काफी बड़ा है अतः 'प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था उसे सामुदायिक आधार पर हिन्दू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड एवं उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाय। इस विभाजन में बंगला भाषी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया तथा भिन्न भौगोलिक तथा भाषायी स्थिति रखनेवाले बिहार, उड़ीसा एवं झारखण्ड को पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत रखा गया।

राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में **शोक दिवस** मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। बंगाल की गलियों में 'वंदे मातरम्' के नारे गूँज उठे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई, जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आन्दोलन को देश के कोने-कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था।

सरकार ने दमन का सहारा लिया। आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अखबारों पर जुर्माना लगाया गया और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फँसाकर 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। आंदोलन धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जबाव देना चाहते थे।

साम्प्रदायिकता का बीजारोपण— अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई साम्प्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर मदद की। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज बताया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। आरक्षित सीटों से चुनकर आनेवाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में हिन्दू सभा नामक राजनैतिक दल का गठन किया गया। इसका विस्तार हिन्दू महासभा के रूप में 1915 में किया गया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्प्रदायिक विचारों से कमजोर हुआ।

अतिवादी क्रांतिकारी — ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा था। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही



चित्र 7 — खुदीराम बोस

इस्तेमाल किया जाता था। खुदीराम बोस का मकसद आजादी के लिए संघर्ष करनेवालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डी०एच० किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी इन्हें दी गई। इन्होंने गलती में

किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले केनेडी की बग्घी पर 30 अप्रील 1908 को बम फेंक दिया। बग्घी में सवार केनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में केनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातो-रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी जिसपर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े “क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा?” वहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ और ये पकड़े गये। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को फाँसी दे दी गई।

मुजफ्फरपुर बम काण्ड से एक नई राजनैतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के सम्बन्ध में 22 जून 1908 को केसरी के सम्पादकीय में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रैण्ड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा के तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठतर मानना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएँ साधारण हत्याओं से भिन्न थीं क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि वे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था।

पृथक निर्वाचक मंडल – किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना।

साम्प्रदायिकता – किसी सम्प्रदाय द्वारा अपने राजनैतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल

गांधी का आगमन

दक्षिण अफ्रिका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्लभेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रिका के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रिका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया था।



चित्र 8 – दक्षिण अफ्रिका में गाँधी जी

सत्याग्रह— शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग।
नस्ल भेद— शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव

गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) को स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होमरूल आंदोलन पूरे जोर पर था लेकिन वे इसमें शरीक नहीं हुए। वे होमरूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। इसी रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छोड़ा गया था। गांधी जी नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे।

भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग—चंपारण

गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण (बिहार), अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था।

सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था। इस फैसले के तहत बीघे के तीन कट्टे (3/20) में किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। इसे

‘तीन कठिया पद्धति’ भी कहते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज बगान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे।

चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुँचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया लेकिन गांधी जी



चित्र 9 – चंपारण में गांधी

ने इसे मानने से इंकार कर दिया और किसी भी दण्ड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गाँवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया।

गांधीजी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे०बी० कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम-घूमकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते। सरकार ने भी मामले की छान-बीन के लिए कमिटी गठित की जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तीनकठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बगान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए। बगान मालिक 25 प्रतिशत रकम वापस करने पर सहमत हुए। गांधी जी मान गए क्योंकि इनकी नजर में यह भी बगान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिन्दगी से एक दशक के अन्दर ही बगान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए।

चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी। वे विश्वयुद्ध

के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन-वृद्धि की मांग कर रहे थे लेकिन मिल मालिक मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का सुझाव दिया लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय ले लिया।

गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया।

“मोतिहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधी सरकारी आदेश के उत्तर में मोतिहारी के जिलाधिकारी को 6 अप्रैल 1917 को गाँधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चम्पारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी वे उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार हैं।”

रॉलेट सत्याग्रह

राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहाँ गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों को विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया। वहीं प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन



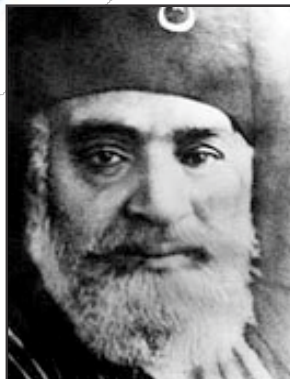
चित्र 10 – जालियाँवाला बाग हत्याकांड

का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट ऐक्ट नामक कानून बनाया जिसमें सन्देह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट ऐक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को ‘राष्ट्रीय अपमान दिवस’ मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के दो नेताओं सैफुद्दीन किचलू

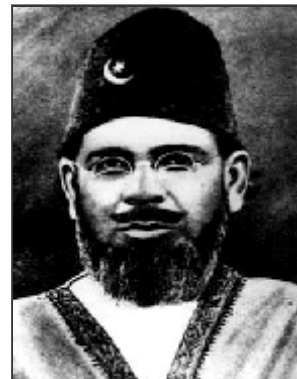
एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 (वैशाखी के दिन) को बड़ी संख्या में जालियाँवाला बाग (अमृतसर) में जमा हुए। लोग सभा कर ही रहे थे कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए एवं हजारों की संख्या में घायल हुए। सारे देश में इस घटना ने लोगों को आंदोलित कर दिया।

खिलाफत और असहयोग

प्रथम विश्वयुद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना



चित्र 11 – मुहम्मद अली



चित्र 12 – शौकत अली

चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मुहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिन्दू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जालियाँवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया।

खलीफा – मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति।

अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरम्यान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 'नाइट' एवं महात्मा गांधी ने 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि त्याग दी। चुनावों का मतदाओं द्वारा बहिष्कार किया



चित्र 13 – चरखा चलाते हुए गांधी जी

गया। वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, सी०आर० दास, राजगोपालाचारी एवं आसफअली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई। पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठी।

जनभागीदारी

देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया। खेड़ा (गुजरात) के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी, आंध्रप्रदेश में वन सत्याग्रह तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में



चित्र 14 – आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी

बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरु मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। मजहरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से **दि मदरलैंड** नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला।



चित्र 15 – मजहरुल हक

22 दिसम्बर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते-आते हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरी-चौरा पुलिस थाना (उत्तर प्रदेश) पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिन्दा जला दिया। गांधी जी हिंसक आंदोलन के

खिलाफ थे फलतः इन्होंने 6 फरवरी 1922 को अंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी।

झंडा सत्याग्रह — झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 से शुरू हुआ जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इन्कार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया।

न्यायाधीश के मनाही पर भी डी०एस०पी० ने भीड़ पर हमला बोल दिया। कई लोग गिरफ्तार किए गए। जमनालाल बजाज कमिटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ बिहार के लोग भी गए। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों को सजाएँ हुईं। धीरे-धीरे सरकार का रुख नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी गई।

शहीद हरदेव ने तिरंगे के सम्मान में शहादत दी

नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोन-कोने से सत्याग्रही पहुँचने लगे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेवारी राजेन्द्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे जो पटना जिला के अकबरपुर-पालीगंज पथ पर अवस्थित गाँव तोरणी के रहने वाले थे। वे परिवार छोड़कर अपने साथियों अवधबिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुँचे। यहाँ 18 जून 1923 को इन लोगों को कैद कर लिया गया और एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई। खान-पान की कठिनाइयों के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। साथी सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफी मांग जेल से छूटने की सलाह दी। लेकिन इन्होंने माफी मांगने से इन्कार कर दिया। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हो गई। उस समय राजेन्द्र बाबू भी उसी जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का शव राजेन्द्र बाबू, सरदार पटेल, चितरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह-संस्कार सबों ने मिल कर किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यन्त तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहे।

अगली लड़ाई की तैयारी में

असहयोग आंदोलन की समाप्ति (1922) के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में सम्पन्न हुआ। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया। जबकि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी को परिषद् के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इनका तर्क था परिषद् के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इसी बिन्दु पर मतभेद के बाद चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। पटना में ही इसकी आरंभिक बैठक हुई लेकिन बिहार में डा० राजेन्द्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल असफल रहा।

असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर०एस०एस०) का गठन हुआ। क्रमशः एक पार्टी सर्वहारा (जनसाधारण) वर्ग की प्रतिनिधि थी तो दूसरी खुद को हिन्दुवादी और उग्रराष्ट्रवादी संगठन मानती थी। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने **हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी** का गठन किया। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।



जब बिहार के सपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला 'वैकुण्ठ शुक्ल'

वैकुण्ठ शुक्ल का जन्म 1910, मुजफ्फरपुर (अब वैशाली) के जलालपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गाँव में ही ग्रहण कर मथुरापुर गाँव के लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। इन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैप जेल में रखा गया। 1931 में गाँधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। बाद में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के



चित्र 17 - वैकुण्ठ शुक्ल

संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए। फनीन्द्र नाथ घोष जो बेतिया का निवासी था, जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इसकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। फनीन्द्र नाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेको राजनीतिक षड़यंत्रों में गवाही दिया—लाहौर षड़यंत्र कांड में भी वह मुख्य मुखबिर था। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ गवाही दी जिसके कारण ही उन्हें फाँसी की सजा मिली थी।

फनीन्द्र नाथ घोष पर हमला वैकुण्ठ शुक्ल तथा चन्द्रमा सिंह के द्वारा 9 नवम्बर 1932 को हुआ जब वह मीना बाजार की अपनी दूकान के सामने बैठकर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। इस पर हमला धारदार हथियार से हुआ। घायल फनीन्द्र नाथ 17 नवम्बर 1932 को मर गया।

भागते वक्त वैकुण्ठ शुक्ल का झोला छूट गया जिसमें रखी धोती ने वैकुण्ठ शुक्ल तक पुलिस को पहुँचने में मदद की। वैकुण्ठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर—हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायालय ने वैकुण्ठ शुक्ल को फाँसी की सजा दी। उच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। फलतः 14 मई 1934 को गया जेल में फाँसी दे दी गई।...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं आर० एस० एस० की विचारधारा की चर्चा अपने शिक्षक से करें।

दाण्डीमार्च : जब गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए

सरकार ने नमक के उत्पाद एवं बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया जिससे सरकार को अच्छी आमदनी होती थी। इस कानून से देश का हर व्यक्ति (गरीब—अमीर, महिला—पुरुष, ऊँच—नीच) प्रभावित था। गांधी जी ने नमक कानून को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा, वे मानते थे कि यह प्रकृतिप्रदत्त चीज है और बिना कर के सबके लिए सुलभ होना चाहिए। अतः गाँधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा का निश्चय किया इन्होंने अपने सहित 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दाण्डी (समुद्र तट के किनारे) के लिए नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। 6 अप्रील 1930 को दाण्डी पहुँचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने पानी उबालकर भी नमक बनाया। देखते—देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं एवं आदिवासियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।



चित्र 18

सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। लेकिन उन्हें भी अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा था। फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी। दो वर्ष बाद द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आजाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग की बात की। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया।

प्रांतीय स्वायत्तता— संघ के अन्दर रहते हुए अपने राज्य क्षेत्र में जनहित में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार।

अंग्रेजों भारत छोड़ो - 1942

द्वितीय विश्वयुद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को **भारत छोड़ने की चेतावनी** दी। इसके लिए गांधी जी ने जनता को **‘करो या मरो’** का नारा दिया। हालाँकि गांधी जी ने बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष का ही आह्वान किया था लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गयी। किसानों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफी उग्र और ताकतवर बना दिया। सत्ता और संचार के प्रतीक चिह्नों पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया।

बिहार में जब 80 थानों पर जनता का कब्जा हो गया....

पटना जिला के पालीगंज में जबरदस्त संगठन रहने के कारण थाना को झुकना पड़ा और 14 अगस्त को थाना में ताला लगा दिया गया। 15 अगस्त को दरोगा जी ने स्वयं ‘इंकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया। आज ही के दिन एक जत्था उलार से अरवल की ओर बढ़ा जा रहा था, उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोली चलायी गई, जिसमें रामकृत सिंह (कोरडा-रानीपुर के रहने वाले थे) की बाँह में गोली लगी। वहाँ से उन्हें घायल-अवस्था में पालीगंज अस्पताल में लाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी। इस बहादुर का हजारों व्यक्तियों ने गाजे-बाजे के साथ महबलीपुर के समीप सोन नदी में अंतिम संस्कार किया।

अंग्रेजों ने दमन का सहारा लेते हुए 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हजारों लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत जगहों पर हवाई जहाज से भी गोलियाँ बरसाई गईं, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बाध्य कर दिया।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के हालात को दर्शाती हुई एक चिट्ठी जिसे डा० यू० एन० शाही ने अपनी नवविवाहिता पत्नी को भेजा—

वन्दे मातरम्

पटना

31.08.42

प्रिये,

कई दिन हुए तेरी चिट्ठी मिली, पर पत्रोत्तर नहीं दे सका था। इसका पहला कारण तो आत्म-विस्मरण ही कहा जाएगा और दूसरा उसे तुझ तक पहुँचाने के साधन की कमी। रामफल बा के आगमन ने दूसरे का हल दे दिया है। अतः कुछ लिखने बैठा हूँ। अब तक किसी तरह शरीर से अच्छा रहा हूँ। किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कितने दिनों के लिए है। यूँ तो यह कहना अत्यंत ही कठिन है कि कब किसको क्या होगा; पर आज की दुनिया में यह बिल्कुल एक असंभव सा हो गया है। किसी के जान माल का कोई ठिकाना नहीं है और उसमें उसकी बात क्या पूछना जिसने पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में “अपनी छोटी नइया को जला दी है और समुद्र की उछलती-कूदती पागल तरंगों पर कूद गया है।” उसे नहीं मालूम कि उसकी क्या गति होगी। गत् 8 तारीख को ही यहाँ के सभी कॉलेजों में ताला लग गया। अब तो वहाँ विद्यार्थियों की जगह गोरे सिपाही डटे हैं। यहाँ की और खबरें चाचा जी, सबों से सुन लेना। अभी कोई खास हल्ला-गुल्ला यहाँ नहीं हैं। सेक्रेटेरियट पर झंडा फरहारने में गोलियाँ चली और हममें से 11 वीर शहीद हो गए; करीब 22 घायल हुए। इन्ही वीरों की मृत आत्मा की पुकार ने यहाँ की जनता में आग लगा दी और आगे की बात का क्या पूछना। सरकार का हर एक काम बंद हो गया। गोली हँसते-हँसते सहने वालों में मेरा एक पुराना साथी भी था, और वह यहाँ मेरे ही साथ एक रूम में रहता था। पर इसकी मुझे तकलीफ नहीं है, परंतु गौरव है। बहुतों ने लाठियाँ खाईं कोड़े सहे। ‘बड़ी

माय' के भतीजे के लड़के ने भी लाठियों से सर फोड़वाया। राम बाबू 11 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पटने की ही बात नहीं है देश के कोने-कोने में यही रास रचा है। एक तरफ निहत्थी जनता अपने मानवोचित अधिकार के लिए अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रही है और दूसरी ओर आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित दानवीय शक्ति बंदूक, मशीनगनों और बमों से उन्हें दबाने की भरपूर चेष्टा कर रही है। फिर शहीदों की संख्या की गणना क्या? मुझे विश्वास है कि हमारी कुर्बानियाँ कभी निष्फल नहीं जाएँगी। यहाँ एक ऐसी आग जली है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अवश्य ही खाक में परिणत कर देगी। अंग्रेजों का पाप और अनाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका है। अब अवश्य ही इसका अंत होगा। और अधिक लिखने का मौका नहीं है। मैं यहाँ गत 13 तारीख से करीब नजरबंद हूँ। यह मुझे बुरी तरह खलती है। देखो क्या होना है? तुमसे अलग होते समय मैंने तुम्हें इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर न्याय और बलिदान की कुछ कहानियाँ कही थीं। समझाया भी था। किसी पत्र में भी कुछ लिखा था। उन्हें ही याद रखो। त्याग ही संसार की सबसे बड़ी अनुभूति है। पुराने आदर्शों की स्मृति और आज का दृश्य मुर्दों के भी दिल में आग जलाने के लिए काफी है। फिर हम तुम तो जिंदों में हैं। ईश्वर हमें भी इसके लिए भी दिल दें दिमाग दें और साहस से त्याग तथा बलिदान की भावना दें।

आशा है तुम भी अच्छी होगी।

तेरा

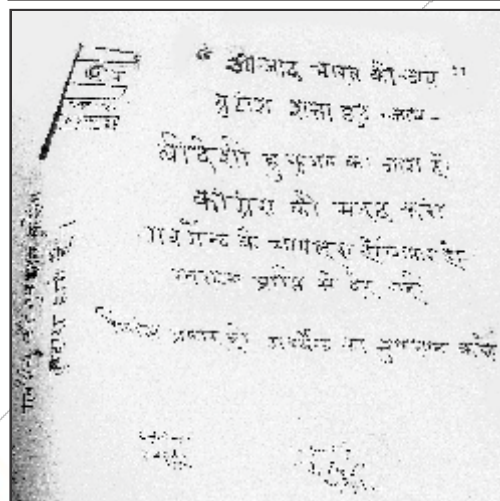
उपेन्द्र

बिहार में भारत छोड़ो- 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू जी० आर्चर ने राजेन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन

पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में सात छात्र मारे गए और उनके घायल हुए। मरनेवाले छात्रों में उमाकांत सिंहा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेन्द्र सिंह, रामगोविंद सिंह तथा जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका अनावरण, देश के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा किया गया।



आजाद हिन्द फौज – 1942–43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ तब भारत की सीमाओं के बाहर 'जय हिन्द' और 'दिल्ली चलो' की आवाज गूँज उठी, जिसने देशवासियों को साहस से भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आँख में धूल झाँककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुँचे। वहाँ से जापान गए और जुलाई 1943 में आजाद हिन्द फौज को फिर से संगठित किया। इसकी बागडोर



चित्र 19 – ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में जारी एक पोस्टर

संभालने के बाद अगस्त 1943 में नेताजी ने **आजाद हिन्द सरकार** की स्थापना की। इनके नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज इम्फाल तक आ पहुँची तथा भारत की लगभग 250 वर्गमील जमीन को आजाद करा लिया लेकिन कई कारणों से इसे पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणुबम गिराये जाने के बाद जापान के साथ-साथ आजाद हिन्द फौज को भी आत्म समर्पण करना पड़ा। सेना के अफसरों को बन्धक बनाकर उनपर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया।

सबसे पहले तीन वरीय अफसर शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल पर मुकदमा चलाया गया। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े-बड़े बैरिस्टर्स, जिनमें भूलाभाई देसाई, डा० काटजू, डा० तेज बहादुर सप्रु और जवाहर लाल शामिल थे, निःशुल्क मुकदमा लड़ा। पूरे देश में इन वीरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। फिर भी जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई। लेकिन अंग्रेजी सरकार को देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फाँसी दे सके। तीनों जनरल रिहा कर दिए गए। बाद में आजाद हिन्द फौज के और लोग भी रिहा कर दिए गए।



चित्र 20 — नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैन्य अधिकारी के साथ

आजाद हिन्द फौज का राष्ट्रीय गीत यह था:—

शुभ सुख चैन की वर्षा वरसे

भारत भाग्य है जागा।

पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड, उत्कल, बंगा।

चंचल सागर, विंध्य, हिमालय, नीला, जमना, गंगा।

तेरे नित गुरु गाए

तुझ से जीवन पावें

सब नित पायें आशा।

सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा।

जय हो, जय हो, जय हो

जय, जय, भारत जय हो।

शुभ की दिल में प्रीत बसाये तेरी मीठी बानी।

हर सूबे के रहनेवाले हर मजहब के प्राणी ।।

सब भेद और फर्क मिटा के

सब गोद में तेरे आके

गूँथे प्रेम की माला ।

सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा ।

सुबह सवेरे पंख, परवेज तेरे ही गुण गावें ।

वस भारी भरपूर हवाएँ, जीवन में ऋतु लावें ।

सब मिलकर हिन्दी पुकारें, जय आजाद हिन्द के नारे

प्यारा देश हमारा

सूरज बनकर जग पर चमके भारत ना सुभागा ।



चित्र 21 – व्यंग चित्र जिसमें गांधी जी संपूर्ण देश का भार अपने कंधों पर लिये हुए हैं।

जनता राज का लक्ष्य — अगस्त क्रांति में 80 थानों पर जनता का कब्जा हुआ ।

उत्तम से 45 थाना क्षेत्रों में एक से दो महीनों तक चला जनता राज, अपनी शासन व्यवस्था और अपने कायदे—कानून । जनता राज का दृष्टिकोण था— गाँव की रक्षा का प्रबंधन हो, आपसी झगड़े निपटाये जाएँ, मुकदमा बाजी रोकी जाए । गरीबों और भूखों के लिए खाने—पीने का इंतजाम किया जाए ।

जनता राज का स्पष्ट लक्ष्य था— अधिकार का उपयोग इस ढंग से करना कि जनता संतुष्ट दिखे, सबल बने और क्रांति की साधना करें ।

स्वतंत्रता के साथ—साथ विभाजन

राष्ट्रीय आंदोलन जैसे—जैसे संगठित होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने 'फूट डालो' और राज करो की नीति का सहारा लिया । मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही उसकी हर नाजायज मांग भी मानी जाती रही ताकि दोनों मुख्य सम्प्रदायों (हिन्दू और मुस्लिम) के बीच वैमनस्य की भावना बढ़े । अंग्रेजी शासन ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक

निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। शुरु में तो मुस्लिम लीग अपने आपको मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर सकी। लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के अपने पक्ष में गोलबंद करने की विफलता ने मुस्लिम लीग की ताकत एवं महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। साम्प्रदायिक मानसिकता वाले, विक्षुब्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपनी जगह नहीं बनाने वाले नेता मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने लगे। अब लीग खुद को मुसलमानों की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता चाहती थी, लेकिन यह कांग्रेस को मंजूर नहीं था। क्योंकि अब भी कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े नेता मुसलमान थे। लीग ने 1930 के दशक में ही **दो राष्ट्रों का सिद्धांत** स्वीकार कर लिया था। इसने 1940 ई० में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए 'स्वतंत्र राज्य' की मांग की।

1946 के प्रान्तीय चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए तीन सदस्यीय **कैबिनेट मिशन** भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले-ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसने तेजी से अधिकांश भारत को अपने चपेट में ले लिया और लाखों लोग मारे गए। करोड़ों लोग शरणार्थी हो गए। ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद परिस्थिति को देखते हुए भारत को विभाजित करने का मन बना चुकी थी। यह अंग्रेजों की 'फूट डालो' की नीति की पराकाष्ठा थी। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने लार्ड माउन्ट बैटेन को भारत भेजा। माउन्ट बैटेन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इसे स्वीकार करना

पड़ा। विभाजन के बाद भारत का भूगोल बदल गया। कुछ समय के लिए नफरत पूर्ण माहौल बन गया। इस तरह स्वतंत्रता हमारे लिए आनंद से ज्यादा पीड़ा लेकर आयी। धीरे-धीरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सूझ-बूझ ने परिस्थितियों पर विजय पाई और भारत एक समृद्ध, सशक्त एवं आदर्श लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने लगा।



चित्र 22 – व्यंग चित्र – आजादी का जश्न मनाते हुए हमारे नेता

अभ्यास

आइए फिर से याद करें—

1. सही विकल्प को चुनें ।

(i) कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभायी?

- (क) शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने
- (ख) एक राष्ट्रीय संस्था की गठन की जरूरत ने
- (ग) अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने
- (घ) अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने

(ii) राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ—

- (क) प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण
- (ख) संचार साधनों के विकास के कारण
- (ग) उपरोक्त दोनों के कारण
- (घ) इनमें से किसी के कारण नहीं

(iii) आइ० सी० एस० की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया ।

- (क) 18 वर्ष
- (ख) 19 वर्ष
- (ग) 20 वर्ष
- (घ) नहीं घटाई गई

(iv) समाचार पत्रों ने किन-किन विचारों को लोकप्रिय बनाया—

- (क) प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था
- (ख) स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था
- (ग) सिर्फ क को
- (घ) क एवं ख दोनों को

(v) वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया?

- (क) अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया।
- (ख) भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया।
- (ग) शोषण की खुली छूट दी गई।
- (घ) क और ख दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया।

(vi) बंग-भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ

- (क) शोक दिवस मनाया गया।
- (ख) लोगों ने उपवास रखा।
- (ग) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।
- (घ) उपरोक्त सभी।

(vii) महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया।

- (क) अहमदाबाद
- (ख) चंपारण
- (ग) खेड़ा
- (घ) दिल्ली

(viii) रालेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी?

- (क) जालियाँवाला बाग में।
- (ख) गांधी मैदान में।
- (ग) रामलीला मैदान में।
- (घ) प्रगति मैदान में।

(ix) कैसरे-हिन्द की उपाधि का किसने त्याग किया?

- (क) रवीन्द्रनाथ टैगोर
- (ख) महात्मा गांधी ने
- (ग) जवाहरलाल नेहरू ने
- (घ) सी०आर० दास ने

(x) 'करो या मरो' का नारा गांधी जी ने दिया।

- (क) असहयोग आंदोलन के दौरान
- (ख) चंपारण में
- (ग) भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
- (घ) सविनय अवज्ञा आंदोलन में

आइए विचार करें—

- (i) कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया?
- (ii) प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया?
- (iii) राष्ट्रीयता के उत्थान में किन-किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
- (iv) कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे?
- (v) बंग-भंग ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया। कैसे?

आइए करके देखें—

- (i) चंपारण से ही गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा क्यों शुरू की? वर्ग में सहपाठियों से परिचर्चा करें।
- (ii) स्वतंत्रता हमारे लिए खुशी और पीड़ा दोनों लेकर आया, इस विषय पर विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर वाद-विवाद आयोजित करें?

